Dr. RANJEET KUMAR
Deptt. of History
H.D. Jain College, Ara.

Notes for – M.A. Sem-III, CC-13, Unit-IV

Topic- संवैधानिक परिवर्तन और राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया :-

(1.) भारतीय परिषद् अधिनियम 1861 :- 1858 ई. के भारत सरकार अधिनियम ने यद्यपि कम्पनी शासन का अंत कर दिया, परंतु इसने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया। इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव लाने की माँग जोर पकड़ने लगी। इस बात को महसूस किया गया कि भारतीयों के लिए कानून बनानेवाली संस्था को भारतीय विचारों को भी जानना चाहिए, अन्यथा उनके पास विद्रोह करने के अतिरिक्त और अन्य कोई उपाय नहीं बचेगा।

कुछ प्रमुख भारतीयों, जिनमें सर्वप्रथम सर सैय्यद अहमद खाँ, ने यह तर्क दिया कि 1857 ई० के विद्रोह का एक प्रधान कारण यह था कि शासक एवं शासितों के बीच कोई सम्पर्क सूत्र नहीं था। अनेक अंग्रेजों ने इस नीति के परित्याग की माँग की। इसके अतिरिक्त 1853 ई० के चार्टर एक्ट में कानून बनाने की जो व्यवस्था थी, वह दोषपूर्ण थी। विधान परिषद् एवं गवर्नर जनरल में आपसी ताल-मेल नहीं बैठता था। कौंसिल के रवैये के कारण निर्णय लेने में भी देर होती थी। इस अव्यवस्था को दूर करने हेतु 1861 ई० में भारतीय परिषद् अधिनियम पारित किया गया।

अधिनियम के धाराएं मुख्यतः निम्नलिखित थी — (i) वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् का विस्तार कर दिया गया। कौंसिल के सदस्यों की सं० 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 5वाँ सदस्य कानूनी जानकार बनाया गया। अब इसे इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल कहा जाने लगा।

→ (2.) वायसराय को कार्य करने के लिए अपनी सुविधानुसार नियम बनाने का अधिकार दिया गया। इस आधार पर लॉर्ड कैनिंग को विभागीय प्रणाली का आरंभ किया। जिसने मंत्रीमंडलीय व्यवस्था को जन्म दिया। प्रशासनिक विभाग विभिन्न सदस्यों के जिम्मे कर दिए गए जिसके लिए वे वायसराय के प्रति उत्तरदायी होते थे। महत्वपूर्ण विभागीय प्रश्नों पर वायसराय का परामर्श लिया जाता था।

(3.) वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् में अतिरिक्त सदस्यों की सं० -6 से 12 रखने की व्यवस्था की गई। इसका मुख्य काम कानून बनाना था। जिस समय अतिरिक्त सदस्य कार्यकारिणी की बैठक में कानून बनाने के लिए सम्मिलित हो, वैसी अवस्था में इसे लेजिस्लेटिव कौंसिल (विधायिका परिषद्) कहा जाता था। इन सदस्यों में कम-से-कम आधे सदस्य गैर-सरकारी होते थे। इन सदस्यों का मनोनयन वायसराय द्वारा होता था। इसमें कुछ ऊँची श्रेणी के भारतीयों को भी शामिल किया गया। इन सदस्यों की अवधि दो वर्षों की थी। तत्पश्चात् इनका पुनः मनोनयन हो सकता था।

(4.) लेजिस्लेटिव कौंसिल द्वारा पास किए गए कानून वायसराय की स्वीकृति के पश्चात् पूर्ण रूप से कानून बन जाते और समस्त अंग्रेजी क्षेत्र में इन्हें लागू किया जा सकता था; लेकिन भारत सचिव इन कानूनों को रद्द भी कर सकता था।

(5.) इस एक्ट के द्वारा बम्बई और मद्रास के लिए कानून बनाने तथा उनमें संशोधन लाने के लिए प्रांतीय विधान सभाओं के गठन का अधिकार गवर्नरों को दिया गया। इसी आधार पर बाद में बंगाल, उत्तर-पश्चिमी प्रांत और पंजाब में विधान परिषदें गठित की गई। गवर्नरों को कम-से-कम 4 और अधिक से अधिक- 8 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार मिला। इनमें आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे एवं उनका मनोनयन भी दो वर्षों के लिए होता था। प्रांतीय विधायिकाओं को सिर्फ प्रांतीय मामलों से संबंधित मामलों में ही वायसराय की सहमति से कानून बनाने का अधिकार दिया गया।